ORIGINAL RESEARCH PAPER

Commerce

स्वयं सहायता समूह बैंक सम्बद्धता कार्यक्रम एवं नाबार्ड

KEYWORDS : *नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह, संस्थागत वित्त, गैर सरकारी संगठन, वित्त सहायता।*

डॉ अशोक कुमार व्यास सहायक प्रोफेसर, बिनानी कन्या महाविद्यालय,बीकानेर

ABSTRACT

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 1982 में स्थापना वर्ष से ही भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक मध्यस्थ संस्था के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार कुल परियोजना लागत के एक हिस्से के लिए सब्सिडी देकर चुनिंदा क्षेत्रों में परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती हैं, इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य पूंजी निवेश, निरन्तर आय प्रवाह और राष्ट्रीय महत्त्व के क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। नाबार्ड एक ऐसा माध्यम है जो सरकार और किसानों के मध्य अपनी जरूरतों को पूरा करने एवं आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। भारत में संस्थागत वित्त के वितरण की सर्वोत्तम संस्था नाबार्ड ही हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित सुविधा उपलब्ध करवाने हेतू बैंकों के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाये जा रहे है उनका अध्ययन कर उनकी तथ्यात्मक वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) :

योजनाकाल के प्रारम्भिक चरण से ही भारत सरकार की यह स्पष्ट धारणा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में संस्थागत वित्त की भूमिका होती है, इसलिए महत्त्वपूर्ण पहलुओं के गहन अध्ययन से भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, 28 मार्च 1979 को समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने ग्रामीण विकास से जुड़े वित्त से संबंधित मुद्दों पर एकनिष्ठ ध्यान केन्द्रित करने और सशक्त दिशा देने के लिए अलग तरह के विकास वित्तीय संस्था के गठन की अनुशंसा के पश्चात् राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया, जिसकी आरम्भिक पूंजी 100 करोड़ रूपये थी।

स्वयं सहायता समूह :

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत में पहली संस्था हैं जिसने 1992 में स्वयं सहायता समूह के गठन व उनके प्रोत्साहन में एक महत्त्वपूर्ण पहल की स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के समरूप समूह है जो अपनी आप में सबकी सहमति से तय की गई छोटी राशियों की बचत के लिए स्वैच्छिक रूप से बनाया जाता है तथा इससे समूह की सामान्य निधि निर्मित होती है जिससे सदस्यों को उनकी उत्पादक व आकस्मिक ऋण जरूरतों की पूर्ति के लिए ऋण दिया जाता हैं। एक व्यक्ति के पास स्वयं के साधन इतने पर्याप्त नहीं होते हैं कि वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विभिन्न समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके, लेकिन कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से तथा पूर्ण क्षमता से कार्य करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे ही कई व्यक्ति मिलकर इस प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं जो एक तरफ तो अपने संसाधनों को एकत्र करते हैं इस प्रकार के समूह को स्वयं सहायता समूह कहते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।

अनौपचारिक ऋण प्रणाली के लचीलेपन, सुग्रहिता, अनुक्रियाशीलता जैसे गुणों को औपचारिक ऋण संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय संस्थाओं के साथ संयोजित करने और ऋण वितरण प्रणाली में सकारात्मक नवीनताऐं लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने फरवरी 1992 में स्वयं सहायता समूहों की वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी, कुछ चयनित गैर सरकारी संगठनों एवं बैकों की मदद से इस योजना का कार्यान्वयन हुआ। जिसमें बाद में सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 1995 में इस कार्यक्रम का प्रायोगिक दौर समाप्त हो गया, तत्पश्चात् समेकित विस्तार के दौर के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह सम्बद्धता कार्यक्रम को लाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल 1996 के अपने परिपत्र के जरिये स्वयं सहायता समूहों को दिये गये सुझावों को बैंकों के सामान्य ऋण वितरण कार्यकलाप के रूप में ''प्राथमिक ऋण अग्रिमों'' के अन्तर्गत शामिल कर लिया है।

स्वयं सहायता समूह किसी गांव में या गांव के समूह में प्रतिष्ठित स्वयंसेवी एजेन्सियों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा अथवा बैंक के शाखा प्रबंधकों की पहल पर गठित किये जा सकते हैं। बैंक स्वयं सहायता समूहों को उस गैर सरकारी संगठन के माध्यम से वित्त दे सकते है, जिसने समूह को संबद्धित किया हैं, बशर्ते गैर सरकारी संगठन ऋण लेने के इच्छुक हो, ऐसे मामलों में गैर सरकारी संगठनों को थोक वित्त प्रदान करने पर बैंकों द्वारा विचार किया जा सकता है, कुछ समय बाद स्वयं सहायता समूह सीधे ही बैंकों से सम्बद्ध किये जा सकते हैं, जिसमें गैर सरकारी संगठनों की भूमिका समूहों के गठन तक की सीमित रहेगी। औपचारिक या अनौपचारिक अस्तित्व रखने वाले समूह को बैंक प्रचूर मात्रा में ऋण प्रदान कर सकते हैं। समूह फिर अपने सदस्यों को, उनमें आपसी सहमति से तय की गई शर्तों पर ऋण वितरित कर सकते हैं। समूह को दिये गये ऋण की मात्रा समूह द्वारा जुटाई गई बचत की राशि के अनुपात में होनी चाहिए तथा बचत ऋण अनुपात 1:1 से 1:4 के बीच कुछ भी रखा जा सकता है।

1. गैर सरकारी संगठनों को स्वयं सहायता समूह से लाभ : स्वयं सहायता समूह की योजना के द्वारा गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवी संस्थानों को सामाजिक और आर्थिक प्रतिभा के प्रवर्तक के रूप में पहचाना जाने लगा है। इन संगठनों की भूमिका और महत्ता स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव गांव तक पहुंच रही है। गैर सरकारी संगठन अपनी अन्य योजनाओं के साथ–साथ ऋणों की सुविधा भी निर्धनों तक पहुंचा पा रही हैं, ऐसा करने से उन्हें गरीब और निर्धन को पूर्ण रूप से परिपक्व एवं सक्षम करने में मदद मिल रही है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक एवं आर्थिक दोनों कार्यक्रमों के साथ–साथ चलने से एक सक्षम प्रभाव उत्पन्न करने का अवसर मिल रहा है। गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने इस योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के नये नये तरीकों का आविष्कार किया है। गैर सरकारी संगठन इन नये तरीकों के प्रचारक एवं प्रसारक के रूप में भी कार्यरत है। समूह गठन व उसके रखरखाव हेतु कई योजनाओं के अन्तर्गत, गैर सरकारी संगठनों को कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

देश की ज्यादातर कृषि आधारित जनसंख्या मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह सुअवसर उनके सदस्यों को मिलता है जिससे वह सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सम्पर्क में आते है और उनसे लाभ उठा सकते हैं। समूह में संगठित होकर हर व्यक्ति सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के सम्पर्क में आकर उनसे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ उठा सकता है। देश में औपचारिक ऋण प्रणाली का व्यापक प्रसार होने के बावजूद, ग्रामीण गरीब, खासतौर से लघु एवं सीमान्त कृषक एवं भूमिहीन मजदूर, खुदरा व्यापारी एवं शिल्पकार अपनी आकस्मिक ऋण जरूरतों के लिए गैर संस्थागत ऋण स्त्रोतों जैसे महाजनों आदि पर भी निर्भर है। उनकी ऋण जरूरतें छोटी राशि की किन्तु बार–बार हुआ करती हैं, उनकी बचत कम अथवा नहीं के बराबर होती है, बैंक अब तक इन संसाधनहीन लोगों से अलग–अलग निपटने में भारी लेनदेन की लागत व जोखिम के कारण संकोच करते रहे है, तथापि कई देशों के अनुभवों से पता चलता है कि जब ये संसाधनहीन लोग समूहों अथवा स्वयं सहायता समूहों में गठित होकर छोटी–छोटी बचत और ऋण प्रबंधन करते हैं तो न केवल वे बैंकों से जुड़ जाते हैं, अपितु वे सामाजिक–आर्थिक अन्याय का सामना करने के लिए आन्तरिक शक्ति से सक्षम भी हो जाते हैं जिससे वे कई दशकों से ग्रस्त रहे है। गैर सरकारी संगठन गांवों में इस प्रकार के छोटे–छोटे समूहों का गठन कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य करने के साथ–साथ उन्हें बैंक प्रणाली से भी अवगत करवाते हैं। यह समूह 20–30 लोगों के सदस्य रूप में होते हैं जो एक–दूसरे के सभी आर्थिक, सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं प्रमुखतः अपनी जमा पूंजी को बैंक माध्यम से बचत एवं ऋण दोनों ही कार्यो में प्रयोग में लेते है। नाबार्ड अपनी वित्त सुविधाओं को इन छोटे–छोटे समूहों तक प्रमुखतः गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ही पहुंचाते है। इस प्रक्रिया में नाबार्ड यह ध्यान रखता है कि गैर सरकारी संगठन का पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके पिछले कुछ वर्षों का वित्तीय लेखा जोखा प्रमाणित हो तथा वह संगठन समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने एवं उनके प्रवर्तन के लिए इच्छुक होना चाहिए।

2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह को वित्त सहायता एवं उपलब्धियां :

लगभग ढाई दशक पूर्व नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक सम्बद्धता कार्यक्रम 500 स्वयं सहायता समूह की प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इसके अन्तर्गत लगभग 102.43लाख स्वयं सहायता समूह शामिल हैं, जो भारत के लगभग 12.4 करोड़ निर्धन परिवारों से जुड़े हैं। 2019–20 के दौरान प्रति समूह 2.47 लाख के औसत से विभिन्न बैंकों से लगभग 31.46 लाख समूहों को 77.66 हजार करोड़ का ऋण दिया गया। 2019–20 में बचत से जूड़े समूहों की संख्या में 2.29 लाख की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान संस्थागत ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 33.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2020 के अनुसार समूहों पर बकाया संस्थागत ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 24.08 प्रतिशत बढ़ गया।

स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की प्रगति

(31मार्चकीस्थिति) (राशि करोड़ में)

विवरण	2019		2020	
	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	राशि	स्वयं सहायता समूहों की संख्या	राशि
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	26,98,400	58,317	31,46,002	77,659.35
बकाया ऋण	50,77,332	87,098	56,77,071	1,08,075.07
बैंकों में बचत	1,00,14,243	23,324	1,02,43,323	26,152.05

नाबार्ड ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापकतर और गहनतर करने के लिए देश के, विशेष रूप से संसाधनों की कमी वाले राज्यों के सभी पात्र निर्धन ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखते हुए एक आजीविका उदयम विकास मॉडल शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण और उन्हें सहायता देने के कार्य में परस्पर सहयोग कायम हुआ, इससे एक दूसरे के विचारों की समझ बढ़ी। 2019–20 के दौरान सूक्ष्म वित्त से संबंधित विविध गतिविधियों जैसे समूहों के गठन और उनकी सहबद्धता, हितधारकों के क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, प्रलेखीकरण, जागरूकता निर्माण और नवोन्वेष आदि के लिए वित्तीय समावेशन निधि से 72.33 करोड़ और महिला स्वयं सहायता समूह निधि से 6.52 करोड़ अनुदान के रूप में जारी किये गये।

नाबार्ड ने समूहों के संवर्धन और संपोषण के लिए गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कृषक क्लबों, एकल ग्रामीण वालंटियरों, समूहों के फेडरेशन और पैक्स को सहायता देना जारी रखा हैं, प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में लाभ के लिए काम न करने वाली सुक्ष्म वित्त संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूहों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। 2019–20 के दौरान स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए इन एजेंसियों को 415.37 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई है। गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं में सबसे प्रमुख रहे हैं। जिनका समूहों के गठन में हिस्सा 78 प्रतिशत से अधिक रहा हैं और उन्होंने अनुदान सहायता का 89 प्रतिशत प्राप्त किया है।

भारत सरकार की सहायता से 29 राज्यों के 150 पिछड़े, वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों

मनाबार्ड ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापकतर और गहनतर करने के लिए देश के, विशेष रूप से संसाधनों की कमी वाले राज्यों के सभी पात्र निर्धन ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखते हुए एक आजीविका उद्यम विकास मॉडल शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण और उन्हें सहायता देने के कार्य में परस्पर सहयोग कायम हुआ, इससे एक दूसरे के विचारों की समझ बढ़ी। 2019–20 के दौरान सुक्ष्म वित्त से संबंधित विविध गतिविधियों जैसे समूहों के गठन और उनकी सहबद्धता, हितधारकों के क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, प्रलेखीकरण, जागरूकता निर्माण और नवोन्वेष आदि के लिए वित्तीय समावेशन निधि से 72.33 करोड़ और महिला स्वयं सहायता समूह निधि से 6.52 करोड़ अनुदान के रूप में जारी किये गये।

नाबार्ड ने समूहों के संवर्धन और संपोषण के लिए गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कृषक क्लबों, एकल ग्रामीण वालंटियरों, समूहों के फेडरेशन और पैक्स को सहायता देना जारी रखा हैं, प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में लाभ के लिए काम न करने वाली सुक्ष्म वित्त संस्थाएं भी स्वयं सहायता समूहों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। 2019–20 के दौरान स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए इन एजेंसियों को 415.37 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई है। गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता संवर्धन संस्थाओं में सबसे प्रमुख रहे हैं। जिनका समूहों के गठन में हिस्सा 78 प्रतिशत से अधिक रहा हैं और उन्होंने अनुदान सहायता का 89 प्रतिशत प्राप्त किया है।

भारत सरकार की सहायता से 29 राज्यों के 150 पिछड़े, वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन की योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 2.11 लाख महिला समूहों को बचत से जोड़ा गया है उनमें से 1.29 लाख समहों को ऋण दिया गया हैं, 31 मार्च 2020 तक विभिन्न गतिविधियों के लिए महिला एसएचजी निधि से अनुदान सहायता के रूप में 139.43 करोड़ की संचयी राशि अनुदान सहायता के रूप में दी गयी है। मार्च 2015 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति योजना भारत के दो जिलों में शुरू की जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर इस परियोजना का विस्तार किया गया, तथा इसमें देश के 23 जिलें और शामिल किये गये, जिसमें राजस्थान राज्य से बीकानेर एवं झालावाड़ जिले को शामिल किया गया हैं, वर्श 2017–18के दौरान 75 तथा वर्श 2019–20 के दौरान इस परियोजना के तहत 150 और जिले शामिल किए गए है, वर्तमान में यह परियोजना देश भर में 254 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। 31 मार्च 2020 तक 98,000 से अधिक गांवों में 6.54 लाख एसएचजी के 72 लाख सदस्यों से संबंधित आंकड़े ई–शक्ति पोर्टल पर ऑन बोर्ड कर दिए गए है। छोटे किसानों, सीमांत किसानों, पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, छोटे कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराने की रणनीति के रूप में संयुक्त देयता समूहों के वित्त पोषण के अन्तर्गत बैकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर देश भर में 10.94 लाख संयुक्त देयता समूहों के संवर्धन के लिए संचयी रूप से 197.53 करोड़ मंजूर किए गए, नाबार्ड ने 2019–20 के दौरान सुक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के दौरान 425 कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 12.719 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे सुक्ष्म उद्यम स्थापित कर सके, संचंयी रूप से अब तक लगभग 17,700 एमईडीपी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लगभग पांच लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

निश्कर्श :

स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाकर नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्र के हर वर्ग तक अपनी पहुंच को स्थापित किया है, इसमें प्रमुख रूप से वहां कार्यरत गैर सरकारी संगठनों एवं बैंक प्रबन्धकों का योगदान रहा है। बैंक अपनी वार्षिक साख योजनाओं के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सरकार की योजनाओं को ग्रामीण विकास के उद्देश्य से क्रियान्वित करने का कार्य करता है एवं उसके लिए आवश्यक वित्त सहायता भी प्रदान कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ. बी. आर. मेहता. (2000). ''प्रीसिंपल ऑफ मनी एंड बैंकिग'', मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृ. 357.
2. वार्षिक साख योजना, वर्ष 2017–18, बीकानेर अग्रणी जिला बैंक कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, जिला–बीकानेर (राज.), पृ. 60.
3. राकेश मल्होत्रा. ''विभिन्न योजनाओं में स्वयं सहायता समूह – एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका'', अटलांटिक पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लि., पृ. 3.
4. वार्षिक रिपोर्ट 2019–20, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, पृ. 34 एवं 35.
5. डॉ. बी. आर. मेहता. (2000). ''प्रीसिंपल ऑफ मनी एंड बैंकिग'', मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृ. 357.